

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229484
SG-DL-E-08092021-229484

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 162
No. 255]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 162

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा विभाग

भर्ती एवं पदोन्नति इकाई (आरपीयू) सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

सं0फा0 8(34)/एसईसीटीटी/शिक्षा/2019/645.653—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं0 24/78/68—डीएच(एस) तथा दिनांक 13 जुलाई, 1959 की सं0 फा0 27/59—हिम (i)के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “मुख्य खेल सलाहकार” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(i) इन नियमों को खेल निदेशालय, मुख्य खेल सलाहकार (सा0के0से0 समूह — क, अलिपिकवर्गीय पद), भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (02) से (04) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :— वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सन्तुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकता है।

5. **शिथिल करने की शक्ति:—**जहां यदि सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकता है।

6. **बचाव:—** इन नियमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची**मंत्रालय/शिक्षा निदेशालय विभाग में मुख्य खेल सलाहकार हेतु भर्ती नियम**

1.	पदनाम	:	मुख्य खेल सलाहकार			
2.	पदों की संख्या	:	01*(2020) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर			
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, ग्रुप “क”			
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	13 अभ्युक्ति : (1,23,000—2,15,900)			
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं			
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं			
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य		वांछनीय	
			योग्यता : लागू नहीं	अनुभव : लागू नहीं	योग्यता : लागू नहीं	अनुभव : लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं			
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं वर्ष			
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पद्धति		प्रतिशत	
			3. प्रतिनियुक्ति/समावेशन		100	
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	प्रतिनियुक्ति/ समावेशन : केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र-शासित प्रदेशों के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप			

		पदधारी, अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में स्तर 12 (78,800—8,09,200 /—रुपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा सहित। तथा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा स्नातक की उपाधि धारी। तथा (ग) (i) ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त कर चुका हो। अथवा (ii) एशियाई खेलों में पदक प्राप्त कर चुका हो। अथवा (iii) राष्ट्रमंडल खेलों में पदक प्राप्त कर चुका हो। अथवा (iv) विश्व चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त कर चुका हो। (घ) खेलों व क्रीड़ाओं के क्षेत्र में पांच वर्ष का संगठनात्मक एवं प्रशासनिक अनुभव। वांछनीय : (i) किसी भी खेल में राष्ट्रीय खेल संस्थान से डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (ii) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शारीरिक शिक्षा में निष्णात उपाधि। (iii) राज्य एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर खेलों, क्रीड़ाओं, टूर्नामेंटों के आयोजन में अनुभव। टीप : केंद्रीय सरकार के उसी या कुछ अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्ववर्ती किसी अन्य बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, जो सामान्यतः पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा हुई नियुक्ति के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	<table><tr><td> <u>विभागीय पदोन्नति समिति</u> 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं (सदस्य) 3. लागू नहीं (सदस्य) 4. लागू नहीं (सदस्य) </td><td> <u>विभागीय स्थायीकरण समिति</u> 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) </td></tr></table>	<u>विभागीय पदोन्नति समिति</u> 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं (सदस्य) 3. लागू नहीं (सदस्य) 4. लागू नहीं (सदस्य)	<u>विभागीय स्थायीकरण समिति</u> 1. लागू नहीं (अध्यक्ष)
<u>विभागीय पदोन्नति समिति</u> 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं (सदस्य) 3. लागू नहीं (सदस्य) 4. लागू नहीं (सदस्य)	<u>विभागीय स्थायीकरण समिति</u> 1. लागू नहीं (अध्यक्ष)			

		5. लागू नहीं (सदस्य)	
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
शिंगारे रामचन्द्र महादेव, उप सचिव (शिक्षा)

EDUCATION DEPARTMENT

[RECRUITMENT AND PROMOTION UNIT (RPU) SECRETARIAT]

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2021

No.F.8(34)/SECTT./EDN./2019/645-653:—In exercise of the Powers conferred by provision to article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 24/78/68-DH(S) dated 24-09-1968; No.F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Sports Advisor in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement**— (i) These rules may be called the Directorate of Education, Chief Sports Advisor (GCS Group – A, Non –Ministerial Post) Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification and Pay level in the pay matrix**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (02) to (04) of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** —The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications**—No person:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who have a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for Chief Sports Advisor In Ministry/ Department of Directorate of Education

NAME OF THE POST.	NO. OF POSTS.	CLASSIFICATION.	PAY LEVEL IN PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION POST/ NON-SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Chief Sports Advisor	01*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted, Group, A.	13 Remark: (1,23,000-2,15,900).	Not Applicable.	Not Applicable.	Essential		Desirable	
						Qualification: Not Applicable.	Experience: Not Applicable.	Qualification: Not Applicable.	Experience: Not Applicable.

WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITMENT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTES.	PERIOD OF PROBATION IF ANY.	METHOD OF RECRUITMEN, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.		IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES WHICH FROM PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
Age: NA Edu. Qual: NA.	N.A. Years.	Method 3. Deputation / Absorption.	Percentage 100.	Deputation/absorption: ----- Officers of the Central Government/State/ Union Territories. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or (ii) With five years service rendered after appointment to	<u>Departmental Promotion Committee</u> 1. Not Applicable (Chairman) 2. Not Applicable (Member) 3. Not Applicable (Member) 4. Not Applicable (Member) 5. Not Applicable (Member).	<u>Departmental Confirmation Committee</u> 1. Not Applicable (Chairman).
						Consultation with UPSC is necessary on each occasion.

				the post on a regular basis in posts in Level 12 (Rs.78,800-8,09,200) in the parent cadre or department; and (b) Possessing B.P.Ed. Degree in Physical Education from any recognized University/ Institute; and (c) (i) Have won medal in Olympic Games; Or (ii) Have won medal in Asian Games; Or (iii) Have won medal in Commonwealth Games; Or (iv) Have won medal in World Championship. (d) five years experience of organizational and administrative in the field of games and sports. Desirable : ----- (i) NIS Diploma/ Certificate in any sport. (ii) M.P.Ed. Degree in Physical Education from any recognized University/ Institution. (iii) Experience in organization of Games, Sports, Tournament at State & Inter-State Level.			
--	--	--	--	--	--	--	--

				Note: The period of deputation/ period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.			
--	--	--	--	---	--	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAM CHANDRA MAHADEV, Dy. Secy. (Education)